(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 461-पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-1-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 149/2014-15/अपील.

गिरधारी लाल पुत्र बसंतीलाल शर्मा
निवासी बदनावार जिला धार .....आवेदक

विरद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला धार .....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री कमल जैन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 13-1-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम दोत्रिया पटवारी हल्का नम्बर 27 स्थित प्रश्नाधीन शासकीय भूमि नोईयत नदी सर्वे क्रमांक 1523 रकबा 11.887 हेक्टेयर पर अवैध उत्खनन रेत भरते तीन ट्रेक्टर एवं एक आयसर मय ड्रायवरों के पाये जाने पर नायब तहसीलदार, बदनावर जिला धार द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, बदनावर को प्रेषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ-67/2010-11 दर्ज कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर उत्तर प्राप्त कर दिनांक 29-9-2012 को आदेश पारित कर आवेदक पर रूपये 2,83,540/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, जिला धार के समक्ष प्रथम

अपील प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 20-2-2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वतीय अपील दिनांक 23-12-2014 को विलम्ब से अवधि विधान की धारा 5 सहित प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13-1-2015 को आदेश पारित कर अपील समय बाह्य होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र, मय शपथ पत्र एवं डाक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोई विचार नहीं कर अपील समय बाह्य मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन पत्र, आदेश पारित न होने के कारण दिनांक 24-11-2014 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अपर आयुक्त द्वारा कानूनी भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 247(7) का सही विचार नहीं कर, आदेश पारित करने में कानून की गंभीर भूल की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरूद्ध प्रकरण शासन द्वारा पंजीबद्ध किया गया था, अत: प्रमाण भार शासन पर था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बिना साक्ष्य लिये आदेश पारित करने में विधि की भूल की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा जिन लोगों के विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, उनको पक्षकार नहीं बनाते हुए दुर्भावनावश आवेदक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की गई है । अन्त मे तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना किसी साक्ष्य के मनमाने तरीके से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो मान्य किये जाने योग्य नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देने में विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का समुचित

अवसर दिया जाकर आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन रेत भरना प्रमाणित पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसंगत पाते हुए अपर कलेक्टर द्वारा स्थिर रखा गया है । इस आधार पर कहा गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक द्वारा समय बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी, अत: अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आवेदक की अपील समय बाह्य मानकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 10-1-14 तक अपर कलेक्टर के न्यायालय में उपस्थित रहा है एवं प्रकरण उसकी उपस्थित में आदेश हेतु नियत किया गया है, इसके उपरान्त भी उसके अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 23-12-2014 को समय बाह्य अपील प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण हायपरटेंशन होने से डाक्टर द्वारा लम्बे समय तक आराम करने की सलाह देना बताया गया है, जो कि विलम्ब का समाधानकारक, कारण नहीं है । अत: अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अपील समय बाह्य मानकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।"

जहां तक प्रकरण के गुण-दोष का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा फर्जी रॉयल्टी रसीदों के आधार पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था ।

इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा रेत का अवैध उत्खन्न किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर संहिता की धारा 247 के प्रावधानों के अनुरूप विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अपर कलेक्टर द्वारा कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 31-1-2015, अपर कलेक्टर, जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-2-2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी, बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-9-2012 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मधयप्रदेश
ग्वालियर